संख्या-20 /2023/001-455 60 3 2023 सी 1685800 2023

प्रेषक,

दिनेश चन्द्र पाण्डेय,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

महिला कल्याण,

उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 08 सितम्बर, 2023

विषय-वित्तीगय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-49 राजस्व पक्ष में हब फॉर इम्पावरमेन्ट ऑफ वूमेन (पूर्व नाम महिला शक्ति केन्द्र) की स्थापना मद में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक् आपके पत्र संख्या-158/निदे0म0क0/अनु0/एम0एस0के0/2023-24, दिनांक 27.04.2023 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित हब फॉर इम्पावरमेन्ट ऑफ वूमेन (पूर्व नाम महिला शक्ति केन्द्र) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान संख्या-49 के सुसंगत लेखाशीर्षक अन्तर्गत रू0-9,83,80,000/- (रूपये नौ करोड तिरासी लाख अस्सी हजार मात्र) (केन्द्रांश रू0-5,90,28,000.00+सापेक्षिक राज्यांश रू0-3,93,52,000.00) की वित्तीय स्वीकृति/आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु निदेशक, महिला कल्याण द्वारा किया जायेगा।

(5) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुये आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(6) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा राज्य सरकार / भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों / गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) उक्त धनराशि आहरित करके निदेशक, महिला कल्याण द्वारा भारत सरकार की योजना से संबंधित पुनरीक्षित गाइडलाइन्स के अनुसार व्यय किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 5,90,28,000 (रुपये पांच करोड़ नव्वे लाख अट्ठाईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 049 लेखा शीर्षक 2235021030206 महिला शक्ति केन्द्र की स्थापना (के.60/रा.40-के.) मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) (2) रुपये 3,93,52,000 (रुपये तीन करोड़ तिरानवे लाख बावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 049 लेखा शीर्षक 2235021038902 महिला शक्ति केन्द्र की स्थापना मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-E-4-92-X-2023-24, दिनांक 06.09.2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(दिनेश चन्द्र पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या-20/2023/001-455 60 3 2023 सी 1685800 2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।

3- अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र पाण्डेय)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।